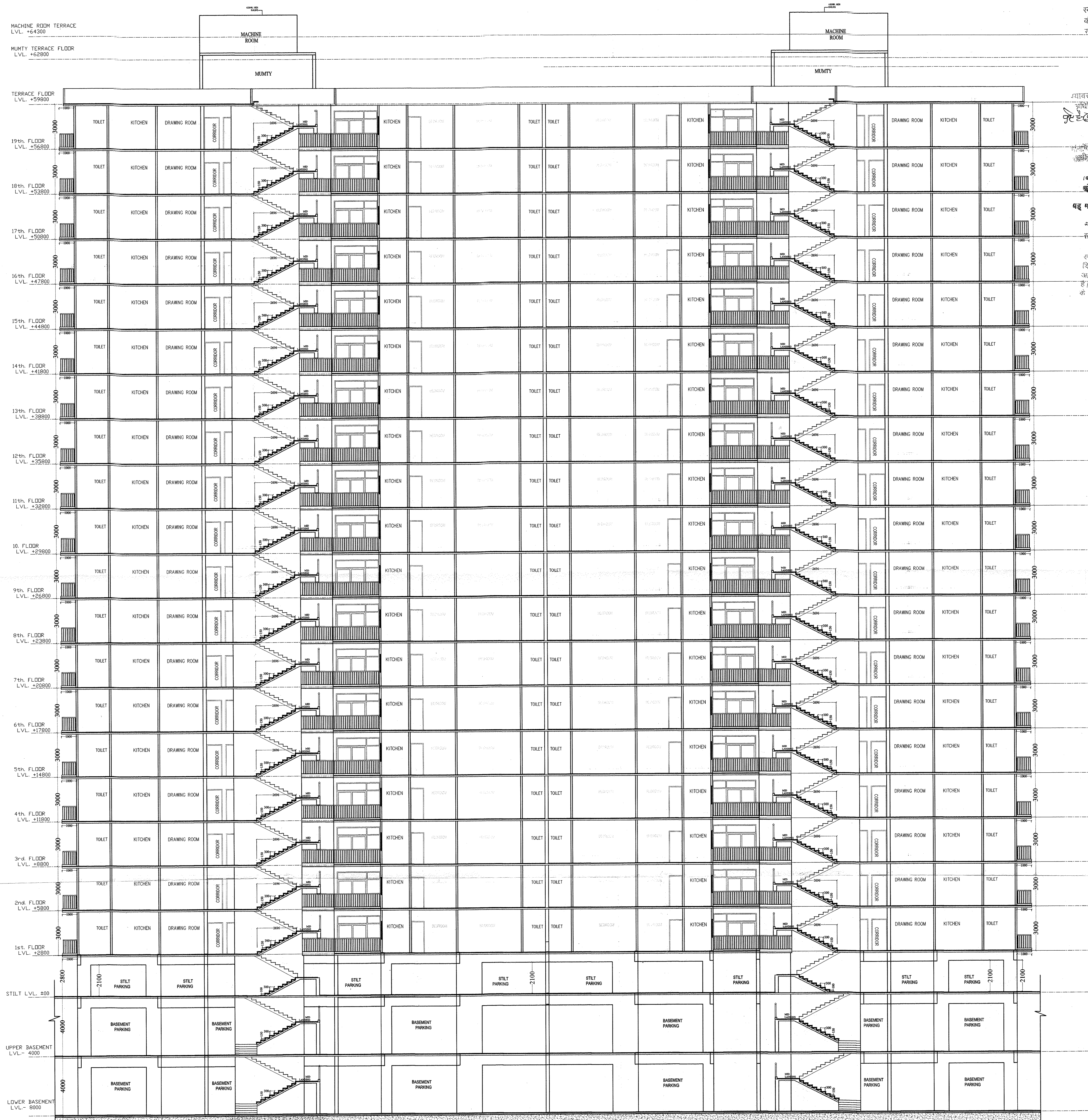




स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः, निरस्त समझी जायेगी।

ग्यावरण को दूष्टि से राज्य वन निधि अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम १५ फीट पेड लगाना अनिवार्य है।

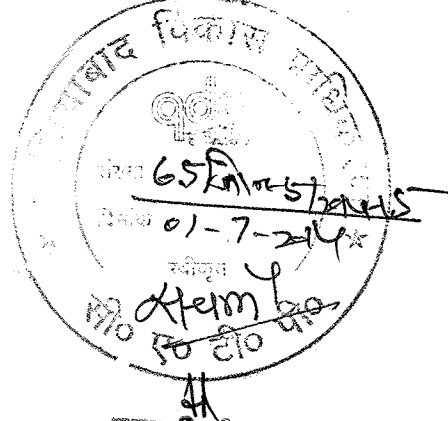
वस्तु निवेशों के अनुसार सुखसुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है।

वस्तु निवेशों के अनुसार सुखसुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है।

यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पंच वर्ष तक वैध है।

स्थल पर एक बाड़ पर स्वीकृत मानचित्र का संस्था व टिप्पण लिखना अनिवार्य होगा।

समस्त प्रकार के नवन / स्तूपों की सुरक्षा एवं विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के आंतरिक/बाह्य टाई बीम खलना उचित / आवश्यक है जो दीवारों/स्तूपों के स्तर सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे डाले जायें।



वस्तु निवेशों के अनुसार सुखसुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है।

वस्तु निवेशों के अनुसार सुखसुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है।

वस्तु निवेशों के अनुसार सुखसुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है।

PROJECT :-	
PROPOSED GROUP HOUSING ON PLOT NO. 48-49, NH-54, VILLAGE-SHAHPUR, BAMBETA, DISTT.-GHAZIABAD (U.P.)	
BUILDERS & PROMOTER :-	
SMV AGENCIES PVT. LTD.	
ARCHITECTS	
GAURAV SINGLA	
H/ 169, SEC-63, NODDA (U.P.)	
PHT: 0120-4777700, Mob: 9560098445, 9971998445	
E-Mail: gaurav22@gmail.com	
V.D. SHARMA	
M.E.(STRUCTURES)	
OPTIMUM DESIGN PVT. LTD.	
2C/335, VASUNDHARA, GHAZIABAD	
DRAWING TITLE :- TOWER: R1 SECTION	
SCALE	DATE
DESIGN BY	CHECKED BY
	DATE

SECTION A-A